HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 18270/2026
CNR: RJHC021101772026 | URN: CRLMB / 33521U / 2026

Smt. Saloni W/o Shri Sanjeev, Aged About 47 Years, R/o B-10, Second Floor, Shishram Park, Uttam Nagar, West Delhi, Presently Residing At B-10, Shishram Park, Police Station Bindapur, New Delhi. (Presently Confined In Sub Jail Deeg).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through PP

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Kartik Sharma, Adv. Mr. Bhavani S. Saini, Adv. Mr. Rajayan Singh, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Manvendra Singh Shekhawat, PP

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Order

26/11/2026

आई.ए. 1/26 पर सुना गया।

आवेदन में वर्णित कारणों को देखते हुए कार्यालय द्वारा इंगित आक्षेप वेव किये जाते हैं। इसी अनुसार **आई.ए. 1/26** निस्तारित किया जाता है।

प्रार्थी–अभियुक्ता की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र बी.एन.एस.एस. की धारा 483 के अन्तर्गत पुलिस थाना साईबर पुलिस थाना, जिला डीग में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **13/2026** अपराध अन्तर्गत धारा 319(2), 318(2), 336(3), 340(2) बी.एन.एस. तथा धारा 66C, 66D सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2008 में पेश किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्ता ने तर्क दिया कि वह निर्दोष महिला है, उसे मिथ्या रूप से लिप्त किया गया है, वह दिनांक 30.08.2026 से अभिरक्षा में है, बाद अनुसंधान आरोप पत्र पेश हो चुका है, विचारण में समय

Digitally signed by
DINESH KUMAWAT
Date: 2026.11.26
17:02:07 IST

लगेगा, अतः प्रार्थी–अभियुक्ता को जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध किया तथा अपराध की गंभीरता को देखते हुए यह जमानत आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

दोनों पक्षों की बहस के संदर्भ में अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

वर्तमान प्रकरण में प्रार्थी–अभियुक्ता के विरूद्ध यह आरोप है कि उसने एक्सिस बैंक से ग्राहकों के डाटा कलेक्ट कर फर्जी कॉल सेंटर चलाकर लोगों से साईबर ठगी का प्रयास किया। प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत तर्कों एवं प्रार्थी–अभियुक्ता की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी–अभियुक्ता को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्ता **सलोनी पत्नी संजीव** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीया इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय या अंतरिती न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का बन्ध–पत्र तथा पचास–पचास हजार रूपये की दो सुदृढ प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करावे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो हस्तगत प्रकरण में उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

(UMA SHANKER VYAS),J

Crt_7/D-A/67/DINESH KUMAWAT